न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(28)

R 1092-PB-17

प्र.कं /2017 पुनरीक्षण

जुगलकिशोर पुत्र चुन्नीलाल कुमावत
निवासी बंगला नं. 35 नीमच जिला नीमच

..... आवेदक

विरूद्ध

श्री .... द्वारा आज दि. 6-4-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-4-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. नानालाल पुत्र चुन्नीलाल कुमावत
2. शिवनारायण पुत्र चुन्नीलाल कुमावत
दोनों निवासी जवाहर नगर, नीमच जिला नीमच

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 01/ निगरानी / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, आवेदक व अनावेदक के पिता चुन्नीलाल कुमावत परिवार के मुखिया व कर्ताखानदान थे उनके स्वत्व स्वामित्व की भूमियां ग्राम नारायणगढ, बरूजना तथा बरखेड़ा बिरपुरिया में पैत्रिक कृषि भूमियां स्थित थी इन कृषि भूमियों की आय से दुकान का व्यवसाय शुरू किया और कृषि व दुकान की आय से चुन्नीलाल जी ने अविभक्त हिन्दु परिवार कायम रहते हुये ग्राम कनावटी में विवादित सर्वे नं. 151 लगायत 156 एवं 166 कुल सर्वे नं. 7 कुल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1092–पीबीआर/2017 [जुगलकिशोर/भानालाल] जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
7–4–17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अतिरिक्त कलेक्टर जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि पर उभयपक्ष का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है और तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा विधि अनुकूल कार्यवाही की जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अध्यक्ष	